न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 168/2022
GCMS NO. : 2022/360

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. शिवप्रकाश कालानी पुत्र गंगाविशन कालानी जाति माहेश्वरी निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. मुमताज खां पुत्र सतार खां 2. रूस्तम खां पुत्र सतार खां 3. इंसाफ खां पुत्र सतार खां 4. ईकबाल खां पुत्र सतार खां 5. आबिद खां पुत्र सतार खां जातियान सिपाही मुसलमान निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 6. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 18/10/2022

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 23/01/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं मौके पर प्रार्थी का खरीद करने से लेकर आज तक कब्जा काश्त व हक अधिकार है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम कि आई हुई है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी मौके पर अपनी खातेदारी एवं कब्जाशुदा काश्तशुदा भूमि पर ही काबिज है तथा अपनी हक–हिस्से की भूमि में काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण जिनकी कृषि भूमि भी पास मे आई हुई है, जो कभी माठ को लेकर एवं कभी खन्दक को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है एवं माठों पर उगी हुई झाडियों व पेडों को लेकर भी आये दिन विवाद करता है। प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर माठ कायम करवाने एवं पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र हक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने और प्रार्थी के साथ माठ को लेकर विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

रने लगे एवं दिनांक 04.09.2022 को अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत की माठ को खेर कर एवं तारबंदी तोडकर प्रार्थी कि भूमि के अन्दर घुस गये। तब उक्त भूमि के बत् प्रार्थी ने हल्का पटवारी से पेमाईश हेतू निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी कहा की सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की जमीन के खातेदारो के सहमत होने पर ही ोमाज्ञान किया जा सकता है। तब प्रार्थी ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष दिनांक 6.09.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु आज दिन तक किसी प्रकार की ार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा नहीं की गई है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानीयों का ामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण सही व उचित सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थी से ववाद कर रहे है। जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड के नुसार सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थी की भूमि को हडप करने कि नियत से आये दिन वाद ववाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करते रहते है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की माठ ो हटाकर सीमा विवाद करेंगे एवं मौके पर पत्थरगढी नहीं करने देगें तो प्रार्थी को पनी आराजी मे काश्त करने मे कठिनाईयाँ एवं दिक्कतें होगी। इस प्रकार से प्रार्थी ा यह प्रार्थना पत्र मौके पर सीमाज्ञान, पत्थरगढी, एवं माठ कायम करवाने बाबत् ीमान से समक्ष बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद सम्मन/सूचना के उपस्थित नहीं हने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शा.मि. है।

तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है, जो कि नामान्तरकरण संख्या 4788 दिनांक 25.07.2022 से वादीगण का जरीये बैचान इन्द्राज हुआ है। खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी एवं भू-नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपि पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जैतारण, तहसील जैतारण में प्रार्थी की खरीद शुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर स्थित है [illegible] पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर आराजी के [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज है एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शे में भी अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
...भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

से तरमीम है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है, लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 267/1 का सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद करवाई जाए।

2. पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार एवं कब्जे काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 267/1 के साथ सीमा बनाती है तथा वादग्रस्त आराजी के भू-नक्शे की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी तथा खसरा नम्बर 267, 267/1 की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार होता है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो तथा वह इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह् लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपभोग एवं उपयोग कर सकें।

3. तहसीलदार, जैतारण के जवाब प्रार्थना-पत्र अनुसार खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है, जो कि नामान्तरकरण संख्या 4788 दिनांक 25.07.2022 से वादीगण का जरीये बैचान इन्द्राज हुआ है। खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उपर्युक्त खसरा की वादग्रस्त आराजी भू-नक्शा में तरमीमशुदा है व जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने-अपने हक हिस्से के कब्जा काश्त है। अतः खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर एवं इससे लगती अन्य खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर की आराजी का मौजूदा जमाबंदी एवं भू-नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया ाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी ंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं ारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं के राजस्व ग्राम जैतारण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 267/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 267 रकबा 1.9991 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू–नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप–चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनाँक **23/01/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested